

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

::आदेश::

भोपाल, दिनांक २६/०७/२०१४

क्रमांक एफ २४-१/२०११/३८-२ राज्य शासन द्वारा म०प्र० के शासकीय/स्वशासी महाविद्यालयों में नियुक्त किये गये समस्त जनभागीदारी समिति अध्यक्षों का कार्यकाल सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ११-२९/२०१३/१/९ दिनांक २३.०१.२०१३ के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

२/- इस विभाग के संसंख्यक आदेश दिनांक २२.१०.२०११ के प्रावधानों अनुसार जनभागीदारी समिति में कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। अतः प्रदेश में संचालित जिन शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वहां पदेन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनभागीदारी समिति की बैठक यथावत् आयोजित की जाए।

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जि०र० न० फ०स०रि०या)
प्रमुख सचिव

म०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ-२४-१/२०११/३८-२

प्रतिलिपि :-

१. माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग
२. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल।
३. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, म०प्र०।
४. समस्त, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय म०प्र०।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

भोपाल, दिनांक २६/०७/२०१४

विशेष कर्तव्यस्था अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग